शिकायत निस्तारण में प्रदेश में श्रावस्ती को पहला स्थान

- बिना दफ्तरों का चक्कर लगाए समाधान मिलता है
- अधिकारियों के सहयोग से उपलब्धि हासिल हुई

श्रावस्ती, संवाददाता। सूबे के सबसे छोटे जिले में समस्याओं और जन शिकायतों का अंबार भले ही हो। लेकिन जिले का प्रशासनिक अमला इन शिकायतों के निस्तारण में हमेशा तत्पर रहता है। यही कारण है कि शिकायत निस्तारण में श्रावस्ती जिले को प्रदेश में पहला स्थान मिला है।

घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए जिला शिकायत निवारण प्रणाली यानि आईजीआरएस पोर्टल उपलब्ध है। लोग घर बैठे इस पोर्टल पर किसी भी समस्या से संबंधित शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। शिकायत के बाद उन्हें बिना सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाए समाधान मिलता है। आईजीआरएस निस्तारण की रैंकिंग सरकार की ओर से जारी की गई। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में टॉप-पांच में अपनी जगह बनाते हुए जनपद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जिले के सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि आगे भी हमें इसी प्रकार बेहतर ढंग से जनशिकायतों का निस्तारण करके जिले को और बेहतर मुकाम पर लाना है। इसके लिए सभी अधिकारियों को सतत रूप से मेहनत करने की जरूरत है।

दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, 90,000 रुपये जुर्माना

अदालत से

श्रावस्ती। सोनवा थाना क्षेत्र के ग्राम केशवापुर पजाबा के मजरा कटकुइया में 10 वर्ष पूर्व हुए किशोरी से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दोषी को दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर छह मास का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

केशवापुर पजाबा के मजरा कटकुइया में 27 अगस्त 2014 की रात एक सोलह वर्षीय किशोरी से गांव के ही देशराज ने दुष्कर्म किया। किशोरी की मां की तहरीर पर दर्ज केस पर शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निदोश कुमार ने फैसला सुनाया। आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 90 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड की राशि पीड़िता के भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। (संवाद)

शस्त्र अधिनियम में नौ माह का कारावास

श्रावस्ती। सिरसिया पुलिस ने चरईडीह निवासी मंगल को 12 वर्ष पूर्व एक 12 बोर के तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शनिवार को सीजेएम शारिब अली ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी को नौ माह का कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)